तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एल.आर./1793/2005/अजमेर** **राधेलाल बनाम नगरपरिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री के.के. पुरोहित, अभिभाषक अपीलांट।
2– श्री सुरेन्द्र कुमार सेठी, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक – 17.06.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के निर्णय दिनांक 06–01–2005 प्रकरण सं0 132/2003 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर) का आदेश दिनांक 30–08–2003 उचित प्रतीत होने से अपील अपीलांट खारिज की गयी है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड होने से काबिल निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की सारी कार्यवाही एकपक्षीय विधि विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से गैर कानूनी है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मय फर्द दस्तावेज दिनांक 28–08–1999 को दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ना तो अपने निर्णय में इनका कोई उल्लेख किया एवं ना ही उन पर विचार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खिलाफ यह लिखकर निर्णय किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1793 / 2005 / अजमेर** **राधेलाल बनाम नगरपरिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है कि विवादित भूमि नगर परिषद के नाम दर्ज है एवं सम्वत् 2041 से अपीलांट द्वारा भी नगर परिषद के नाम होना स्वीकार किया गया है एवं यह प्रमाणित नहीं किया है कि विवादित भूमि सैटलमेंट की त्रुटि से ही नगर परिषद के नाम दर्ज हुयी है। दिनांक 21-10-1973 को वादग्रस्त आराजी को गलत रूप से सिवाय चक खाते में डाल दी गयी एवं दीगर व्यक्तियों के हक में आवंटन कर दी गयी। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने यहा रिव्यू पिटीशन के आदेश दिनांक 29-06-1974 से पुनः उक्त भूमि संस्था के नाम कर दी। कानूनन सैटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे पूर्व में खातेदारी के इन्द्राज को रिपीट करना आवश्यक है एवं ऐसा नहीं करने पर अपीलांट के लिए आवश्यक नहीं था।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-01-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-08-2003 निरस्त किया जावे।

4- विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट के तर्कों के विरोध में तर्क दिये है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30-08-2003 से सव्यय खारिज किया गया है। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर भी उन्होंने अपीलांट की अपील को सारहीन मानते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए अपील अपीलांट खारिज की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1793 / 2005 / अजमेर** **राधेलाल बनाम नगरपरिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

6- पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30-08-2003 से खारिज किया गया है। जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय में होने पर भी उन्होंने भी अपने आलौच्य आदेश दिनांक 06-01-2005 से अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज की है कि आराजी नगरपरिषद के नाम दर्ज है। सम्वत् 2041 से अपीलांट द्वारा स्वयं ने भी इस आराजी को नगर परिषद के नाम होना स्वीकार किया है जो रिकॉर्ड से साबित है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर कब्जा होना किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया है इसके साथ ही इस बिन्दु को भी प्रमाणित नहीं किया है कि वादग्रस्त आराजी सैटलमेंट की त्रुटि से ही नगर परिषद के नाम दर्ज हुयी है। अपीलांट द्वारा जो वर्तमान ट्रस्ट का गठन होना बताया है। वह सन् 1998 से बताया है। पूर्व ट्रस्ट से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की गयी है।

7- **माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में यह अभिनिर्धारित किया हुआ है कि जहां पर प्रकरण में कोई वैधानिक त्रुटि परिलक्षित/प्रकट नहीं होवें उस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जावे।**

8- दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण का विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय पारित किये हैं जो समवर्ती

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एल.आर. / 1793 / 2005 / अजमेर** **राधेलाल बनाम नगरपरिषद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निष्कर्ष की श्रेणी में आते है।

9- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होकर स्वीकार योग्य नहीं होने से **खारिज** की जाती है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06-01-2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-08-2003 यथावत् रखे जाते हैं।

10- पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य